123

10 Rs. COURT FEE १० रु. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 Rs. COURT FEE ५ रु. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक पुनरीक्षण /06

R 702/882/06

वहीदखां पुत्र श्री इददू खां मुसलमान
निवासी मोहल्ला रोहिलपुरा सिरोंज
तहसील सिरोंजजिला- विदिशा म0प्र,

--- आवेदक

विरुद्ध

श्री ... द्वारा आज दि. 13/4/06 को प्रस्तुत।
13/4/06 सचिव
राजस्व मंडल म० प्र० ग्वालियर

1- कल्लू खां 2- नजीर खां
3- हफीजखां 4- भूराबी 5- मुन्नीबी
पुत्रएवं पुत्रीगण श्री इददू खां मुसलमान
6- हमामन बी विधवा इददू खां
समस्त निवासी गण मोहल्ला रोहिलपुरा
सिरोंजतहसील सिरोंज जिला-विदिशा

7- चन्दू खां 8- पप्पू 9- कल्लो बी
समस्त पुत्रगण श्री मददा खां मुसलमान
निवासीगण मोहल्ला रकाबगंज सिरोंज
तहसील सिरोंज जिला-विदिशा म0प्र0

13.4.06
K.K. Dwivedi
Adv

10- छम्मू खां 11- मकसूदखां
12- मकबूल खां 13- सलीम पुत्रगण
भुन्दूखां मुसलमान निवासगण मोहल्ला
रोहिलपुरा सिरोंजतहसील सिरोंज
जिला- विदिशा म0प्र0

14- पप्पू पुत्र वहीद खां मोहम्मद खां
15- आलमाबाई आयु 9 वर्ष
16- नगमाबाई आयु 8 वर्ष
17- हुमा आयु 6 वर्ष तीनों अल्पवयस्क
पुत्रियां मृतका मुन्नीबाई द्वारा पिता
संरक्षक पप्पू पुत्र वहीद मोहम्मद

XXXI(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 702–पीबीआर/2006 निगरानी जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.6.16	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग,भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 197/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–1–2006 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी। अनावेदक कमांक 7,8,9 की ओर से श्री बिनोद श्रीवास्तव अभिभाषक के तर्क सुने गये। आवेदक कमांक 1 से 6 तथा 10 लगायत 17 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अनुसार वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम कादरपुर स्थित भूमि सर्वे नंबर 264 रकबा 5.072 हैक्टर के भूमिस्वामी मद्दा खॉ थे जिनकी मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पॅजी के सरल कमांक 10 पर राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 18–9–98 से मृतक के वारिसान का नामान्तरण किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 157/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–9–2002 से अपील अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज के आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक	

197/2002-03 में पारित दिनांक 28-1-2006 से अपील समयवाह्य पाकर निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

4/ उपस्थित अभिभाषकों के तर्कानुक्रम में निगरानी मेमो के तथ्यों एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27-9-2002 के विरूद्ध अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष 17 दिन विलम्ब से अपील प्रस्तुत हुई है एंव अपर आयुक्त भोपाल संभाग,भोपाल ने आदेश दिनांक 28-1-2006 से 17 दिवस का विलम्ब क्षमा नहीं किया है, जबकि अपीलांट ने अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन देकर बताया है कि अपीलार्थी बीमार रहने से 17 दिवस का विलम्ब हुआ है। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 28-1-06 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि उनके व्दारा विलम्ब के सम्बन्ध मे जो निष्कर्ष निकाले हैं वह शॅकास्पद होकर समाधान--कारक नहीं हैं क्योंकि -

1. **निगरानी प्रस्तुत करने में 17 दिन का विलम्ब-निगरानी मेमो में विलम्ब का कारण अंकित किया गया - 17 दिवस का विलम्ब अत्याधिक विलम्ब नहीं है - विलम्ब के आधार पर निगरानी निरस्त करना - न्याय किया जाना नहीं माना जायेगा।**
2. **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 47 - समुचित आधारों पर आधारित होने से विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य पाया गया - मामला गुणा-गुण पर विनिश्चत किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावेगा।**

स्पष्ट है कि अपर आयुक्त, भोपाल संभाग,भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 197/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-1-2006 से मात्र 17 दिवस का विलम्ब क्षमा न करने में भूल की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित

XIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 702-पीबीआर/2006 निगरानी जिला विदिशा

दिनांक तथा हस्ताक्षर	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। 5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 197/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-1-2006 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निर्देश दिये जाते हैं कि अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति उपरांत प्रकरण कमांक 197/2002-03 अपील में हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर गुणदोष के आधार पर निराकरण करें। सदस्य	